

16/5/17

पञ्जाबी पत्र उद्योग अदालत/केस
कोट... में पेश हुआ
प्रकारान उप/उप प्रकारान में
राजीनामा नहीं होने से पञ्जाबी निरस्तारित
नहीं की जा सकती है संबंधित न्यायालय
को वापस लौटाई जाती है (पृ 11/12)

दिनांक 27/11/17 को पेश हो 1800

2-11-17

पञ्जाबी पत्र उद्योग
उपस्थित/पञ्जाबी अधिकार जी
न्यायालय में पेश
दिनांक 2-11-17 को पेश हो।

आदेश से सिद्ध

28-12-17 पञ्जाबी पत्र उद्योग/ वकील कादी उपस्थित/ P.O. का
द्वारा कानून प्रवक्ता पर ही वास्तव प्रतिकारिता की तलबी
है पञ्जाबी दिनांक 27-4-18 को पेश हो। R.O.
उत्तर

2-5-18 पञ्जाबी पत्र उद्योग
में पेश
24-9-18 को पेश हो।
R.O.
उत्तर

24-9-18 पञ्जाबी पत्र उद्योग/ वकील कादी उपस्थित/ P.O. का
द्वारा राजनीय कार्य के अन्तर्गत ही वास्तव प्रतिकारिता की तलबी
है पञ्जाबी दिनांक 11-2-19 को पेश हो। R.O.
उत्तर

11-2-19 पञ्जाबी पत्र उद्योग/ र.राजीव खान (कौमिसिपेशन) के द्वारा कार्य
का अन्तर्गत ही वास्तव प्रतिकारिता की तलबी है
पञ्जाबी दिनांक 20-5-19 को पेश हो।

20-5-19 पञ्जाबी पत्र उद्योग/ वकील कादी उपस्थित/ वकील कादी प्रतिकारिता
की तलबी काका प्रोफेसर अमरुत काका पेश करने का कार्य ही
जहाँ वकील कादी की दिनांक 28-3-16 को बराबर रूप से
दिने जाके उपस्थित की प्रतिकारिता की तलबी काका काका
दिनांक तक प्रोफेसर अमरुत प्रस्ताव नहीं दिने जाके के कारण
कादी का काका पत्र प्रोफेसर अमरुत प्रस्ताव 09 R5 जा. सी. दे. लख
राजीव खान काका पञ्जाबी प्रोफेसर अमरुत की जाकर उपस्थित
कार्य ही।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवादा